रजिस्ट्री सं. डी एल-33001/95 REGISTERED NO. DL-33001/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 33] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 19, 1995/श्रावण 28, 1917
No. 33] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 19, 1995/SRAVANA 28, 1917

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किये गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general Character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 1995

सा.का.नि. 385.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक तथा अनुच्छेद 148 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक से परामर्श के पश्चात् राष्ट्रपति केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1.(1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) द्वितीय संशोधन नियमावली, 1995 होगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 के नियम 39(ग) में,—

(क) खण्ड (VIII) में अन्त में आने वाला शब्द "और" विलोपित किया जायेगा,

(ख) खण्ड (IX) में "उपर्युक्त के न होने पर" शब्दों के लिए "उपर्युक्त (I) से (VIII) तक न होने पर" शब्द तथा अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे,

(ग) खण्ड (IX) के पश्चात, निम्नलिखित खण्ड जोड़े जाएंगे, अर्थात् :—

"(X) उपर्युक्त (I) से (IX) तक न होने पर, सबसे बड़ी जीवित विवाहित पुत्री को' तथा

1935 GI/95—1

(1) स्तम्भ 2 में की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"250+(1995)—+कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।"

(2) स्तम्भ 10 में की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा"।

(3) स्तम्भ 2 में की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

(क) 15 प्रतिशत ऐसे वेल्डर से जिसने दो वर्ष नियमित सेवा की, है जिसके न हो सकने पर ऐसे तकनीकी प्रचालक (वेधन) में से जिसने 14 वर्ष नियमित सेवा की है जिसमें निम्नलिखित कार्य स्थापन में की गई नियमित सेवा सम्मिलित है।

(ख) 10 प्रतिशत ऐसे संपीड़न प्रचालक से जिसने आठ वर्षों से नियमित सेवा की हैं जिसके न हो सकने पर ऐसे तकनीकी प्रचालक (वेधन) में से जिसने चौदह वर्ष नियमित सेवा की है जिसमें निर्धारित कार्य स्थापन में की गई नियमित सेवा सम्मिलित है।

(ग) 75 प्रतिशत ऐसे तकनीकी प्रचालक (वेधन) में से जिसने चौदह वर्ष नियमित सेवा की है जिसमें निर्धारित कार्य स्थापन में की गई सेवा सम्मिलित है।

[फाइल सं. 23-1/94-जी डब्ल्यू/1633]
इन्दु भूषण कर्ण, उप सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड, (1) में सा.का.नि. सं. 733 तारीख 29 मई 1976 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चातवर्ती संशोधन

(1) भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) पृ. 948 पर प्रकाशित सरकारी अधिसूचना सं. 377 तारीख 19 मार्च, 1976

(2) भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 3, उपखंड (1) पृ. 659 पर प्रकाशित सरकारी अधिसूचना सं. सा.का.नि. 332 तारीख 22 मार्च, 1980

(3) सरकारी अधिसूचना सं. 654 तारीख 22 अगस्त, 1987।

New Delhi, the 2nd August, 1995

G.S.R. 388.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Ground Water Board (Assistant Driller-cum-Mechanic) Recruitment Rules, 1976 namely :—

1. (1) These rules may be called th Central Ground Water Board (Assistant Driller-cum-Mechanic) Recruitment (Amendment) Rules, 1995.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Central Ground Water Board (Assistant Driller-cum-Mechanic) Recruitment Rules, 1976,—

(i) in column 2, for the entries the following shall be substituted, namely :—

"250" (1995).—"Subject to variation dependent on work load.";

(ii) in column 10 or the entries, the following shall be substituted, namely :—

"By promotion failing which by direct recruitment".

(iii) in column 11, for the entries, the following shall be substituted, namely :—

(a) 15% from Welder with 2 years regular service failing which from amongst Technical Operator (Drilling) with 14 years regular service including regular service rendered in the work charged establishment.

(b) 10% from Compressor Operator with 8 years regular service failing which from amongst Technical Operator (Drilling) with 14 years regular service including regular service rendered in the work charged establishment.

(c) 75% from Technical Operator (Drilling) with 14 years regular service including regular service rendered in the work charged establishment".

[File No. 23-1/94-CGW)/1633]
I. B. KARN, Dy. Secy.

Note :—The principal rules were published in the Gazette of India Part II Section 3 Sub-Section (i) vide GSR 733 dated 29th May, 1976 and was subsequently amended by:—

(1) Govt. Notification No. GSR 377 dated 19th March, 1977 published in Gazette of India Part II Section 3 Sub-Section (i) at pages 948.

(2) Govt. Notification No. GSR 332 dated 22nd March, 1980 published in Gazette of India Part II Section 3 Sub Section (i) at pages 659.

(3) Govt. Notification No. GSR 654 dated 22nd August, 1987.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 1995

सा.का.नि. 389.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आकाशवाणी (समूह 'ग') भर्ती नियम, 1964 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी, समूह (ग) भर्ती संशोधन नियम, 1994 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी (समूह ग) भर्ती नियम, 1964 की अनुसूची में सांख्यिकी संगणक के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 68 के सामने में स्तम्भ 8 में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"आवश्यक : 10—2 स्तर पर कम्प्यूटर प्रवेश पत्र का व्यावसायिक पाठ्यक्रम का प्रमाणपत्र।

या

जिसके पास 10+2 स्तर उत्तीर्ण करने का प्रमाणपत्र और किसी मान्यता प्राप्त या सरकारी संस्थान/संगठन से कम्प्यूटर का एक वर्षीय प्रमाणपत्र/डिप्लोमा है।

वांछनीय : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित सांख्यिकी/अर्थशास्त्र में अधिमानता डिग्री या समतुल्य।"

[सं. 7/17/92-ए आर/बी (ए)]
विजय शर्मा, अवर सचिव

टिप्पण :—मूल नियम, आकाशवाणी (समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 1964 सा.का.नि.सं. 1776, तारीख 30-11-1964 द्वारा अधिसूचित किए गए थे और तत्पश्चात् इनमें निम्नलिखित संशोधन अधिसूचित किए गए :—

1. अधिसूचना संख्या 11/5/64-बी (ए), तारीख 9-8-65
2. अधिसूचना संख्या 5/2/67-बी (ए), तारीख 20-3-67
3. अधिसूचना संख्या 7/2/69-बी (ए), तारीख 14-6-68
4. अधिसूचना संख्या 7/8/66-बी (ए), तारीख 31-1-70
5. अधिसूचना संख्या 25/6/67-बी (ए), तारीख 24-2-1970
6. अधिसूचना संख्या 16/20/69-बी (ए), तारीख 30-3-70
7. अधिसूचना संख्या 1/7/70-बी (ए), तारीख 18-3-71
8. अधिसूचना संख्या 1/8/71-बी (ए), तारीख 29-1-72
9. अधिसूचना संख्या 1/6/71-बी (ए), तारीख 2-2-1972
10. अधिसूचना संख्या 1/11/71-बी (ए), तारीख 5-5-72
11. अधिसूचना संख्या 1/9/72-बी (ए), तारीख 16-6-72
12. अधिसूचना संख्या 1/7/71-बी (ए), तारीख 14-11-72
13. अधिसूचना संख्या 1/6/73-बी (ए), तारीख 23-5-73
14. अधिसूचना संख्या 1/11/73-बी (ए), तारीख 29-6-73
15. अधिसूचना संख्या 1/5/79-बी (ए) तारीख 20-8-73
16. अधिसूचना संख्या 1/7/70-बी (ए), तारीख 14-5-1974
17. अधिसूचना संख्या 1/7/70-बी (ए), तारीख 8-6-74
18. अधिसूचना संख्या 1/5/73-बी (ए), तारीख 25-8-74
19. अधिसूचना संख्या 1/3/74-बी (ए), तारीख 21-5-76
20. अधिसूचना संख्या 12019/10/79-बी (ए), तारीख 26-12-70
21. अधिसूचना संख्या 12019/1/78-बी 17-12-80
22. अधिसूचना संख्या 12019/8/80-बी (ए), तारीख 27-4-81
23. अधिसूचना संख्या 12019/8/81-बी (ए), तारीख 17-5-82
24. अधिसूचना संख्या 12019/4/81-बी (ए), तारीख 11-4-83
25. अधिसूचना संख्या 45011/83/82-बी (ए), तारीख 29-10-83
26. अधिसूचना संख्या 7/19/83-ए. आर. बी (ए), तारीख 3-7-1984
27. अधिसूचना संख्या 3/25/83-सी. आर. सी. आर./एस 2/ए. आई. आर., बी. (ए). तारीख 2-8-87
28. अधिसूचना संख्या 7/5/86-ए आर/ए आई आर/बी (ए), तारीख 10-9-87
29. अधिसूचना संख्या 1/13/86-ए आर/बी (ए) तारीख 15-11-87
30. अधिसूचना संख्या 8/36/87-एस 2/बी (ए), तारीख 30-12-87
31. अधिसूचना संख्या 14/19/66-एस 2/बी (ए), तारीख 27-4-1988
32. अधिसूचना संख्या 2/7/68-सी आर सी आर/एस 8/डी (ए) तारीख 23-5-1988
33. अधिसूचना संख्या 6/38/87-एस 2/बी (ए), तारीख 21-6-1988
34. अधिसूचना संख्या 5/38/87-एस 2/बी (ए), तारीख 22-6-1989
35. अधिसूचना संख्या 2/32/88-एस-2/बी (ए), तारीख 13-2-1991
36. अधिसूचना संख्या 9/32/88-एस-3/बी (ए), तारीख 3-5-1991
37. अधिसूचना संख्या 9/12/84-ए आर 27/बी (ए), तारीख 28-11-1991।

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 19th July, 1995

G.S.R. 389.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Group C) Recruitment Rules 1964, namely :—

1. (i) These rules may be called the All India Roadio (Group C) Recruitment (Amendment) Rules, 1994.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio (Group C) Recruitment Rules, 1964, against serial number 68 relating to the post of Statistical Computer, in Coloum (8) for the existing entries, the following shall be substituted, namely :—

Essential : Certificate in Vocational Course of Computer Science at ten plus two level.

'OR'

Certificate of having passed at ten plus two level; and one year Certificate/Diploma Course in Computers from recognised or Government Insititute/organization.

Desirable : A degree from recognised University/or equivalent preferably in Mathematics/Statistics/Economics.

[No. 7/17/92—AP/B (A)]
VIJAY SHARMA, Under Secy.

Note: Principal rules, the All India Radio (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1964, were notified vide G.S.R No. 1776 dated 30-11-1964 and subsequently the following amendments have been notified :

1. Notification No.11/5/64–B(A), dated 9-8-1965
2. Notification No.5/2/67-B(A), dated 20-3-1967
3. Notification No.7/2/68-B(A), dated 14-6-1968
4. Notification No.7/8/66-5(A), datd 31-1-1970
5. Notification No. 20/8/67-B(A), dated 24-2-1970
6. Notification No. 16/20/69-B(A), dated 30-3-1970
7. ,, No. 1/7/70-B(A), dated 18-3-1971
8. ,, No. 1/8/71-B(A), dated 29-1-1972
9. ,, No. 1/8/71-B(A), dated 2-2-1972
10. ,, No. 1/11/71-B(A), dated 5-5-1972
11. ,, No.1/4/72-B(A), dated 16-6-1972
12. ,, No. 1/7/71-B(A), dated 14-11-1972
13. ,, No. 1/6/73-B(A), dated 23-5-1973
14. ,, No. 1/11/73-B(A), dated 29-6-1973
15. ,, No. 1/5/73—B(A), dated 20-8-1973
16. ,, No. 1/7/70-B(A), dated 15-5-1974
17. ,, No. 1/7/70-B(A), dated 8-8-1974
18. ,, No 1/5/73-B(A), dated 25-8-1974
19. ,, No. 1/3/74-B(A), dated 21-5-1976
20. ,, No. 12019/10/79-B(A), dated 26-12-1978
21. ,, No. 12019/1/78-B(A), dated 17-12-1980
22. ,, No. 12019/8/80-B(A), dated 27-4-1981
23. ,, No. 12019/8/81-B(A), dated 17-5-1982
24. ,, No. 12019/4/81-B(A), dated 11-4-1983
25. ,, No. 45011/83/82-B(A), dated 29-10-1983
26. ,, No. 7/19/83-AR/B(A), dated 3-7-1984
27. ,, No. 3/25/83-CRCR/SII/AIR/B(A), dated 2-6-1987
28 ,, No. 7/5/86-AR/AIR/B(A), dated 19-9-1987
29. ,, No. 7/13/86-AR/B(A), dated 10-11-1987
30. ,, No. 8/36/87-SII/B(A), dated 30-12-1987
31 ,, No. 14/19/86-SII(B(A), dated 27-4-1988.
32 ,, No. 2/7/88-CRCR/SII/SVIII/B(A), dated 23-5-1988
33 ,, No. 8/38/87-SII/B(A), dated 21-6-1988
34 ,, No. 8/38/87-SII/B(A), dated 22-6-1989
35 ,, No.2/32/88-SII/B (A), dated 13-2-1990
36 ,, No. 2/32/88-SII/B (A), datd 3-5-1991
37. ,, No. 9/16/84-AR (Vol.-II)/B(A), dated 28-11-1991.